कारागार में दांपत्य परदिर्शन

[स्रोत: द हिंदू](#)

दिल्ली सरकार **कैदियों के लिये दांपत्य परदिर्शन की अनुमति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर रही है।**

- **दांपत्य परदिर्शन:**
    - इसका तात्पर्य **निजी पारिवारिक भेंट** से है, जिसमें **कैदी** कारागार के भीतर अपने विधिक पति/पत्नी के साथ समय व्यतीत करते हैं।
    - **मनोवैज्ञानिक कल्याण** में सुधार और **कैदियों के वैवाहिक संबंधों को बनाए रखते हुए** इससे **कैदियों के पुनर्वास** तथा **दीर्घकालिक सुधार** को बढ़ावा मिलता है।
- **न्यायिक निर्णय:**
    - पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में कैदियों के **संतानोत्पत्ति के अधिकार** को बरकरार रखा था।
    - मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में वैवाहिक संबंधों के लिये पैरोल की अनुमति दी थी।
    - जुलाई 2023 में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु सरकार से कारागार परिसर के भीतर **कैदियों के लिये वैवाहिक संबंधों** की अनुमति देने पर विचार करने का आग्रह किया था।
- **अन्य देश: अमेरिका के कुछ राज्यों में** दांपत्य परदिर्शन की अनुमति है, लेकिन संघीय कारागारों में नहीं है।
    - यूरोप में **स्पेन, फ्राँस, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देश इस प्रकार की भेंट की अनुमति प्रदान करते हैं** और स्पेन **मासिक एवं स्वीडन 9 घंटे की समयावधि प्रदान करता है।**

और पढ़ें: भारत में ओपन जेलें

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/conjugal-visits-in-prisons